iFOREST | INTERNATIONAL FORUM FOR ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY & TECHNOLOGY

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ 2035 तक लगभग 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का हरित निवेश के लिए पुनःउपयोग कर सकता है: iFOREST

सूरजपुर, कोरबा और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जैसे जिले, जहाँ सबसे अधिक भूमि उपलब्ध है, हरित निवेश के प्रमुख क्षेत्र बन सकते हैं

- 2035 तक लगभग 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का पुनःउपयोग किया जा सकता है; इसमें से 2,999 हेक्टेयर भूमि पहले से उपलब्ध है।
- राज्य स्तर का यह पहला आकलन 46 खदानों (9 खुली खदानें, 37 भूमिगत खदानें) पर आधारित है, जो बंद हो चुकी हैं, जिनमें खनन रोक दिया गया है या जिनके 2035 तक बंद होने का अनुमान है।
- चिह्नित भूमि का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा सूरजपुर, कोरबा और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों में है।
- iFOREST ने खदान भूमि के पुनःउपयोग में समन्वय और निवेश को सुगम बनाने के लिए एक नोडल प्राधिकरण बनाने की माँग की है।

रायपुर, 19 नवंबर 2026: इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) द्वारा आज जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 2035 तक लगभग 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का नवीकरणीय ऊर्जा, हरित उद्योगों और अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए पुनःउपयोग करने की क्षमता है। इसमें से लगभग आधी भूमि (2,999 हेक्टेयर) उन खदानों से पहले ही उपलब्ध है, जो बंद हो चुकी हैं या जिनमें खनन रोक दिया गया है।

यह रिपोर्ट, ***Repurposing Coal Mining Land in Chhattisgarh: Opportunities for Catalysing Low-Carbon Development*** (छत्तीसगढ़ में कोयला खनन भूमि का पुनःउपयोग: निम्न-कार्बन विकास को गति देने के अवसर), रायपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय बैठक में जारी की गई। इसके साथ एक दूसरी रिपोर्ट, ***Redeveloping Closed Coal Mine Land: A Community-Centric Framework for Mine Repurposing*** (बंद कोयला खदान भूमि का पुनर्विकास: खदान पुनःउपयोग के लिए समुदाय-केंद्रित ढाँचा), भी जारी की गई।

भूमि पुनःउपयोग की क्षमता के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2025 में अगले पाँच वर्षों में खदान बंदी और पुनःउपयोग की योजना के लिए 147 प्राथमिकता वाली

खदानों की पहचान की थी, जिनमें से 31 छत्तीसगढ़ में हैं। यह राष्ट्रीय सूची का लगभग 21% है, जिससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। ये सभी खदानें कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहायक कंपनियों में से एक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) द्वारा संचालित हैं।

"खदानों के बंद होने के बाद कोयला खनन भूमि का पुनःउपयोग इन क्षेत्रों में नए आर्थिक और रोज़गार के अवसर पैदा करने का एक बड़ा अवसर है। इनमें हरित उद्योगों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि और वन संसाधनों पर आधारित गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इस भूमि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबसे नए स्थानीय रोज़गार पैदा हो सकते हैं और आर्थिक विकास को बल मिल सकता है," iFOREST की निदेशक (जस्ट ट्रांज़िशन एवं जलवायु परिवर्तन), डॉ. श्रेष्ठा बनर्जी ने कहा।

"SECL ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खदान भूमि एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए खदानों के पुनःउपयोग का लाभ स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए। हमने पुनःउपयोग के माध्यम से रोज़गार सृजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है। 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं से कम से कम 50 रोज़गार, 10 से 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं से कम से कम 100 प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होने चाहिए, और इसी क्रम में आगे भी। हम स्थानीय समुदायों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं," SECL के खदान बंदी एवं पुनःउपयोग विभाग के महाप्रबंधक, पीयूष किशोर ने कहा।

छत्तीसगढ़ की वन भूमि और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए भी खनन भूमि का पुनःउपयोग महत्वपूर्ण है। बंद खदानों की भूमि के दोबारा उपयोग से कृषि, वन और आदिवासी भूमि पर दबाव कम हो सकता है और नई भूमि के डायवर्ज़न को सीमित किया जा सकता है। साथ ही, खनन क्षेत्रों में पहले से ही अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा अवसंरचना मौजूद है, जो नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।

खनिज विभाग/सरकार का उद्धरण

iFOREST के अध्ययन में चिरमिरी और बिश्रामपुर क्षेत्रों में दो संभावित आर्थिक विकास नोड (Economic Development Nodes) की पहचान की गई है। इन क्लस्टरों में 3,568 हेक्टेयर में फैली पड़ोसी खदानें शामिल हैं, जिनकी योजना एक साथ बनाई जा सकती है, ताकि निवेश की व्यवहार्यता बढ़े और परियोजना लागत कम हो।

राज्य सरकार और SECL के लिए प्रमुख सिफारिशें:

- iFOREST ने सिफारिश की है कि SECL बंद हो चुकी खदानों और अगले 5–10 वर्षों में बंद होने वाली खदानों की एक सूची (इन्वेंटरी) तैयार करे।
- SECL और राज्य सरकार को मिलकर ऐसे खदान क्लस्टरों की स्थानिक योजना बनानी चाहिए, जिनके भूखंड आपस में सटे हुए हों या रणनीतिक रूप से जुड़े हों।
- रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार से खदान भूमि के पुनःउपयोग में समन्वय और निवेश को सुगम बनाने के लिए एक नोडल प्राधिकरण स्थापित करने की माँग भी की गई है।
- पुनःउपयोग के उपायों के अनुरूप, जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की राशि का उपयोग स्थानीय लोगों के कौशल विकास और स्थानीय आजीविका को सहयोग देने के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में DMF के तहत कुल ₹16,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई है, जिसका 45% हिस्सा कोयला खनन से आता है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में निवेश के माध्यम से स्थानीय लोगों की रोज़गार क्षमता बढ़ाने में यह राशि बेहद अहम है।

iFOREST छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला खनन जिलों में स्थानीय ज़रूरतों और अवसरों की पहचान के लिए भी काम कर रहा है, ताकि इनके आधार पर खदान पुनःउपयोग की योजनाएँ बनाई जा सकें। कोयला मंत्रालय के कोयला खदान बंदी दिशानिर्देश (Coal Mine Closure Guidelines) पुनःउपयोग योजनाएँ बनाते समय स्थानीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। iFOREST द्वारा प्रस्तावित समुदाय-केंद्रित ढाँचा इसके लिए एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
श्वेता सिंह - कम्युनिकेशन एसोसिएट, iFOREST
फ़ोन: +91-9691330473
ईमेल: shweta@iforest.global